NOC fire briged = ①

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांकः प–12/सीएफओ–एमडीडी–(रिटेल आउटलेट)2016(मुरादाबाद) दिनांकः अगस्त 05,2016।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि./रा),

मुरादाबाद।

विषयः ग्राम मुस्तफाबाद रामपुर रोड, तहसील व ,जिला मुरादाबाद स्थित खसरा संख्याः 196/3 पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0) की स्थापना हेतु अग्निशमन अनापत्ति आख्या के सम्बन्ध मे ।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांकः 185/आबकारी सहायक/2016 दिनांकः 26–07–2016 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, सन्दर्भित अपने पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे जिसके द्वारा प्रश्नगत स्थल पर रिटेल आउटलेट(सी0एन0जी0) की स्थापना हेतु आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त प्रस्तावित स्थल का अग्निशमन अधिकारी श्री आर0के0सिंह द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराया गया उनकी आख्या तथा उपलब्ध कराये गये मानचित्रों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1–प्रश्नगत स्थल के सामने 12 मीटर चौड़ी रोड है ,जो मानको के अनुसार है।

2–प्रश्नगत स्थल के ऊपर से कोई भी विद्युत हाईटेंशन लाईन नहीं गुजर रही है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु पेट्रोलियम एक्ट–1934 तथा उसके रूल्स के अनुसार अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी प्राविधान किये जाने अनिवार्य होंगे जो निम्नवत् है :–

1–45 लीटर क्षमता की 02 अदद मैकेनिकल फोम ट्राली।

2–ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 10 किग्रा0 के 04 अदद स्थापित कराये जाये।

3–नो स्मोकिंग बोर्ड स्थापित कराया जाये।

4–05–05 अदद सैण्ड फायर बकेट एवं वाटर बकेट स्थापित कराये जाये।

अतः प्रश्नगत स्थल पर प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(सी0एन0जी0) के निर्माण कार्य के लिये अस्थायी अनापत्ति आख्या निम्नलिखित प्रतिबन्धो के साथ निर्गत की जाती है:–

1–प्रस्तावित स्थल पर सी0एन0जी0 पम्प के सभी निर्माण कार्य पेट्रोलियम एक्ट–1934 एवं सम्बन्धित पेट्रोलियम रूल्स विषयक समय–समय पर यथा संशोधित विधियो एवं तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लिखित विधि के अनुरुप।

2–प्रस्तावित स्थल के ऊपर से किसी प्रकार हाई/लो टेन्शन विद्युत लाईन नही गुजारी जायेगी ।

3–प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रो मे दर्शाये गये सी0एन0जी0 के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील भण्डारण नहीं किय जायेगा।

4– प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट स्थापित कराने के दौरान धूम्रपान निषेध बोर्ड,अग्निशमन केन्द्र का टेलीफो नम्बर व अग्निशमन संकेतक अंकित कराये जायेंगे।

5– सी0एन0जी0 पम्प के निर्माण के उपरान्त स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थो या स्थितियों आदि जो चिगांरी आ उत्पन्न करते हैं, का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसमें समुचित उपाय किये जायेगे।

6–प्रस्तावित भण्डारण स्थल पर विद्युत सुरक्षा व्यवस्था इण्डियन इलैक्ट्रिसिटी एक्ट एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–1646:1982 तथा सम्बन्धित नियमो मे निर्धारित मानको के अनुसार कराई जानी अनिवार्य होगी।

कृ0प0प0.........................

CFO

7–प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(सी0एन0जी0) स्थापित किये जाने तथा उपरोक्तानुसार प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं के व्यवस्थापन किये जाने के उपरान्त रिटेल आउटलेट (सी0एन0जी0) आरम्भ करने से पूर्व स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण / परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अतः उपरोक्त शर्तो के अधीन प्रस्तावित रिटेल आउटलेट(सी0एन0जी0) स्थापित किये जाने हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति आख्या निर्गत की जाती है ,अन्यथा की स्थिति में निर्गत की जा रही अनापत्ति आख्या स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(वी0के0 सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुरादाबाद।

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद, को सूचनार्थ एवं आ0का0 हेतु।